2019/00213

FORM No. III

App-A
Crm-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कपासन

रामकवरी बनाम सिरा

किस्म मुकदमा 128 LR Act नं. 90 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/7/19	प्रार्थीयां ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआर एक्ट का प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र बाद जॉच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रार्थीयां उपस्थित। प्रार्थीयां के निवेदन पर बहस एक तरफा सुनी गई। जिसमें प्रार्थीयां ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, जिसमें मात्र खातेदार अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/ सीमांकन कराना चाहता है, प्रार्थीयां ने बताया कि मौजा कचौलियां पटवार हल्का केसरखेडी तहसील कपासन मे स्थित आराजी संख्या **1379/412, 1488/419, 406, 411, 412, 416, 417, 733, 938, 940 मौजा राजपुरा पटवार हल्का केसरखेडी में स्थित आराजी संख्या 397/75, 403/113, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73** की प्रार्थीयां खातेदार काश्तकार है तथा वह अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहती है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थीयां के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थीयां की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी /सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थीयां की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावें। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व प्रार्थीयां को सुना। प्रस्तुत खाते की नकल सम्वत् 2074 से 2077 तक के मुताबिक उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थीयां खातेदार काश्तकार है जो अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/ सीमांकन कराना चाहती है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावें। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा कचौलियां पटवार हल्का केसरखेडी तहसील कपासन मे स्थित आराजी संख्या **1379/412, 1488/419, 406, 411, 412, 416, 417, 733, 938, 940 मौजा राजपुरा पटवार हल्का केसरखेडी में स्थित आराजी संख्या 397/75, 403/113, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73** की पुख्ता पत्थरगढ़ी दोनों पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हों व कोई प्रकरण विचाराधीन न हो तो पत्थरगढ़ी किया जाने हेतु 500/- रूपये शुल्क पर तहसीलदार कपासन को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौके पर उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब कर उक्त वर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी मौके पर की जावें पत्थरगढ़ी आदेश कि पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावें कि उक्त आराजियात से सम्बधित कोई भी प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं। कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया।	

(अभिषेक गोयल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned by CamScanner